पत्रांक 1192/धारा–57/2009–10/आयु0क0उत्तरा0/वाणि0क0/दे0दून

कार्यालय आयुक्त कर,वाणिज्य कर,
(धारा–57 अनुभाग)
दिनॉक देहरादून 26 जून 2009

प्रार्थना पत्र सं0 45/09–03–2009

सर्वश्री ज्योति लैबोट्रीज लि0,
K.I.E. इण्डस्ट्रियल स्टेट, ग्राम मुण्डेकी,
रूड़की।

निर्णय का दिनांक :– 26 जून 2009
प्रार्थी की ओर से :– श्री एस0पी0वी0 नाथला, एडवोकेट तथा श्री सजीवन वी0वी0(मैनेजर)

आदेश मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा–57 के अन्तर्गत

सर्वश्री ज्योति लैबोट्रीज, K.I.E. इण्डस्ट्रियल स्टेट, ग्राम मुण्डेकी, रूड़की द्वारा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा–57 के अन्तर्गत दिनांक 09–03–09 को एक प्रार्थना पत्र देते हूए 'Ujala Liquid Fabric Whitener(Acid Violet dye paste) which is being sold under the brand name Ujala Supreme" पर करदेयता के सम्बंध में प्रश्न किया गया है।

2– विभागीय मत डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) रूड़की द्वारा उपलब्ध कराया गया है। उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि व्यापारी द्वारा मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा–57 के अन्तर्गत उक्त प्रार्थना पत्र उनको इस कार्यालय से कारण बताओ नोटिस संख्या–301 दिनांक 25–02–09 के पश्चात् तामील किया गया है। उक्त नोटिस में व्यापारी से यह स्पष्ट करने की अपेक्षा की गयी थी कि उजाला सुप्रीम को वैट एक्ट के शेड्यूल 2 बी के अन्तर्गत न आने पर उनके द्वारा किस आधार पर उक्त वाद पर 12 प्रतिशत के स्थान पर 04 प्रतिशत की दर से कर जमा किया जा रहा है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि व्यापारी के वर्ष 2005–06 के कर–निर्धारण वाद की सुनवाई वैट अधिनियम की धारा–25 के तहत करते हुये सम्बन्धित कर–निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यापारी को उक्त वस्तु की करदेयता के सम्बंध में कारण बताओ नोटस जारी किया गया है जिसके सम्बंध में व्यापारी द्वारा स्थगन प्राप्त किया गया है। अतः स्पष्ट किया गया है कि चूँकि उक्त प्रश्न कर–निर्धारण की कार्यवाही से उत्पन्न हुआ है तथा व्यापारी के सम्बन्धित वादों की सुनवाई अभी लम्बित चल रही है। अतः व्यापारी द्वारा प्रस्तुत उक्त धारा–57 के तहत प्रश्न ग्राह्य नही है।

3– प्रार्थना–पत्र की सुनवाई हेतु श्री एस0पी0 बाटला, एडवोकेट तथा श्री सजीवन वी0 वी0(मैनेजर) उपस्थित हुए। आवेदनकर्ता वस्तुतः वस्त्रों को सफेद करने वाला द्रव्य पदार्थ बनाते है। आवेदनकर्ता का कहना है कि "Acid, Violet dyes, Paste" जिसे कि वे उजाला सुप्रीम के नाम से निर्माण एवं बिक्री करने का कार्य करते है, पर अनुसूची II(B) की प्रविष्टि 42 के अन्तर्गत 04 प्रतिशत की दर से कर जमा कर रहे हैं। आवेदनकर्ता का यह भी कथन है कि मुख्य रुप से "Acid, Violet dyes, Paste" (AVP) जो कि HSN कोड 3204 12 94 में

26.06.09

वर्गीकृत है, खरीदते हैं तथा इसकी सांद्रता (Concentration) पानी मिलाकर कम करते हैं तथा प्लास्टिक डिब्बों में भरकर उजाला ब्रान्ड के नाम से बिकी करते है। आवेदनकर्ता का कथन है कि "Acid, Violet dyes, Paste" की सांद्रता पानी मिलाकर कम कर देने पर भी माल की प्रकृति वही रहती है क्योंकि उजाला सुप्रीम बनाने के लिए अन्य कोई पदार्थ/कैमीकल का मिश्रण AVP में नही मिलाया जाता। आवेदनकर्ता द्वारा निर्मित माल की टेस्ट रिपोर्ट भी प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत की है। आवेदनकर्ता द्वारा अपने पक्ष समर्थन में विभिन्न न्यायिक निर्णयों की प्रतियाँ, कमिश्नर टैक्स आसाम के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–06–2008 की प्रतिलिपि विचारार्थ प्रस्तुत की है।

4— मेरे द्वारा समस्त तथ्यों पर विचार किया गया। उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा–4 की उपधारा–2 के क्लाज (b) के सबक्लाज (i) के साथ पठित अनुसूची–II(B) जिसमे कि प्रत्येक बिकी के बिन्दु पर 04 प्रतिशत की दर से कर देय वस्तुओं का वर्गीकरण किया गया है, के कमांक–42 पर अंकित प्रविष्टि "Dyes, Acid dyes, Basic dyes" पर प्रत्येक बिकी के बिन्दु पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता दिनांक 01–10–2005 से निर्धारित की गयी है। आवेदनकर्ता वस्तुतः Acid, Violet dyes, Paste खरीदते हैं तथा इसकी सांद्रता नियत अनुपात में पानी मिलाकर कम करके उजाला ब्रान्ड के नाम से बिकी कर देते हैं। वस्तुतः Acid, Violet dyes, Paste की सांद्रता कम करने हेतु पानी मिला देने से मूल वस्तु AVP के गुणों तथा प्रकृति में अन्तर नही पड़ता। Acid, Violet dyes, Paste वस्तुतः अनुसूची II(B) के कमांक–42 पर अंकित प्रविष्टि से आच्छादित है। अतएव Acid, Violet dyes, Paste की सांद्रता कम करके बनाये गये द्रव्य के गुणों एवं प्रकृति में कोई अन्तर न होने के कारण दोनो आईटम्स समान वर्गीकरण के अन्तर्गत माने जायेगें तथा तद्नुसार आवेदनकर्ता द्वारा निर्मित माल मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा–4 की उपधारा–2 के क्लाज (b) के सबक्लाज (i) के साथ पठित अनुसूची के II(B) के कमांक–42 पर अंकित प्रविष्टि के अन्तर्गत समाहित माने जायेगें तथा तद्नुसार प्रत्येक बिकी के बिन्दु पर 04 प्रतिशत की दर से करयोग्य माने जायेगें।

5— उपरोक्तानुसार प्रार्थना–पत्र का निस्तारण किया जाता है।

26.06.08

(वी0के0सक्सेना)
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

—3—

Contd page 3

पृ0प0सं0 1192 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— सर्वश्री ज्योति लैबोट्रीज लि0 के0आई0ई0 इण्डस्ट्रियल स्टेट, ग्राम मुण्डेकी, रुड़की।

2— डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) वाणिज्य कर, रुड़की।

3— महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्द्रा नगर देहरादून।

4— एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,गढवाल जोन देहरादून/कुमाऊँ जोन रूद्रपुर।

5— एडिशनल कमिश्नर (आडिट)/(प्रर्वतन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।

6— समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर /हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिऐशन के पदाधिकारियों/उद्योग/ व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

7— ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी।

8— ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्र0) वाणिज्य कर हरिद्वार/रूद्रपुर।

9— वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर विभाग की वेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।

10— पोर्टल प्रबन्धक, उत्तरा पोर्टल जी0ओ0यू0 परियोजना कार्यालय, आई0आई0टी0 रूडकी ।

11— संख्या अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई—मेल द्वारा प्रेषित कर दें।

12— नेशनल लॉ हाउस बी—2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद।

13— नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाऊस—15/5 राजनगर गाजियाबाद।

14— लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड राजनगर गाजियाबाद।

15— कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।

16— विधि अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

26.06.08

एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय देहरादून।